

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक 8(1)राज/वाद/19

जयपुर दिनांक 14-6-2021

:: आदेश ::

अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ता संवर्ग के लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक/ विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकगण को देय मासिक रिटेनरशिप एवं एपीरियन्स फीस में निम्नानुसार वृद्धि किये जाने की एतद्द्वारा सहमति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	पदनाम	देय मासिक रिटेनरशिप		देय एपीरियन्स फीस	
		दिनांक 02.11.2015 से प्रभावी	संशोधित नवीन दरें	दिनांक 04.09.2012 से प्रभावी	संशोधित नवीन दरें
1.	लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक	16800/-	20160/-	500/-	600/-
2.	विशिष्ट लोक अभियोजक	16800/-	20160/-	500/-	600/-
3.	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक	14700/-	17640/-	500/-	600/-

उक्त संशोधित वृद्धि आदेश जारी किये जाने की दिनांक से प्रभावी होंगी। यह स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी सं० 332100267 दिनांक 10.06.2021 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

80
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशेषाधिकारी(जीएसवाई) माननीय मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
7. समस्त लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, राजस्थान।
8. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम (वादकरण)।
10. रक्षित पत्रावली।

80
(हिमांकनी गौड़)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण